रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 1971/माघ 7, 1892
No. 79] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 1971/MAGHA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 1971

S.O. 479.—In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. **Short title.**—These rules may be called the Conduct of Elections (Second Amendment) Rules, 1971.

2. **Amendment of rule 27.**—In rule 27 of the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the "said Rules"), in sub-rule (1), for the words "the hour fixed for the close of the poll on the date or the last of the date, fixed for the poll", the words "the hour fixed for the commencement of counting of votes" shall be substituted.

3. **Amendment of rule 49.**—In rule 49 of the said Rules, in sub-rule (3), clause (h) shall be relettered as clause (i) thereof and before the clause as so relettered, the following clause shall be inserted, namely:—

"(h) in lieu of sub-rule (1) of rule 45, the following sub-rule shall apply:—

"(1) The presiding officer shall at the close of the poll prepare a ballot paper account in Form 16A and enclose it in a separate cover with the words "Ballot Paper Account" superscribed thereon.".

4. **Amendment of rule 55.**—In rule 55 of the said Rules, for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(1) The returning officer shall open, or cause to be opened, simultaneously the ballot box or boxes used at more than one polling station and shall have the total number of ballot papers found in such box or boxes counted and recorded in Part II of Form 16.

(1A) Discrepancy, if any, between the total number of such ballot papers recorded as aforesaid and the total number of ballot papers issued to voters as shown in item 3 of Part I of the said Form 16 minus the number of ballot papers cancelled as shown in item 4 and the number of ballot papers used as tendered ballot papers as shown in item 5 of that Part, shall also be recorded in Part II of Form 16.".

5. **Amendment of rule 6.**—In rule 56 of the said Rules,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Subject to such general or special directions, if any, as may be given by Election Commission in this behalf, the ballot papers taken out of all boxes used in a constituency shall be mixed together and then arranged in convenient bundles and scrutinised.";

(b) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

(4) The returning officer shall endorse on every ballot paper which he rejects the word "Rejected" and the grounds of rejection in abbreviated form either in his own hand or by means of a rubber stamp and shall initial such endorsement.";

(c) for sub-rule (7), the following sub-rule and the **Explanation** shall be substituted, namely:—

"(7) After the counting of all ballot papers contained in all the ballot boxes used in a constituency has been completed, the returning officer shall make the entries in a result sheet in Form 20 and announce the particulars.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expressoin "constituency" shall, in relation to an election from a parliamentary constituency, mean the assembly constituency comprised therein.".

6. **Amendment of rule 59.**—In rule 59, in sub-rule (7) of rule 56A applicable in relation to notified polling stations in lieu of rule 56, for the words and figures "Form 16", the words, figures and letter "Form 16A" shall be substituted.

7. **Amendment of Form 13D.**—In Form 13D (to be used at an election to the House of the People or to the Legislative Assembly of a State) appended to the said Rules, in Part II—Instructions for elections,—

(a) in each of the paragraphs (e) and (f), the letters "P.M.", shall be omitted;

(b) for the foot-note "*Here specify thehour and date fixed for the close of the poll", the following moot-note shall be substituted, namely:—

"*Here specify the hour and date fixed for the commencement of counting of votes.".

8. **Amendment of Form 13D.**—In Form 13D (to be used at an election to the Council of States or to the Legislative Council of a State) appended to the said Rules, in PartII—Instructions for electors,—

(a) in each of the paragraphs 5 and 6, the letters "P.M." shall be omitted:

(b) for the foot-note "*Here specify the hour and date fixed for the close of the poll", the following foot-note shall be substituted, namely:—

"*Here specify the hour and date fixed for the commencement of counting of votes.".

9. **Insertion of new Form 16 and amendment of Form 16-A.**—(1) Form 16 shall be renumbered as Form 16A and before the Form as so renumbered, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM 16

[*See* rules 45 and 55(1)]

PART I—*Ballot paper account*

Election to the from the constituency.

No. and name of polling station.....

	Serial numbers	Total number
1. Ballot papers received		
2. Ballot papers unused		
(*a*) with the signature of the presiding officer, if any; and . .		
(*b*) without the signature of the presiding officer . . .		
3. Ballot papers issued to voters.		
4. Ballot papers cancelled—		
(*a*) for violation of voting procedure under rule 39; and . .		
(*b*) for any other reason.		
5. Ballot papers used as tendered ballot papers		

Date.....

Signature of Presiding Officer.

PART II—*Result of Initial Counting*

1. Total number of ballot papers found in the ballot box(es) used at a polling station.

2. Discrepancy, if any, between the total number as shown against item in this Part and the total number ballot papers issued to voters as shown in item 3 of Part I *minus* the number of ballot papers cancelled as shown in item 4 and the number of ballot papers used as tendered ballot papers as shown in item 5 of that Part.

Date.....

Signature of the Counting Supervisor

Signature of the Returning Officer.....")

(2) In Form 16A as so renumbered, for the words figures, brackets and letter "See rules 45, 56(7) and 56A(7)"; the words, figures, brackets and letter "See rules 45 and 56A(7)" shall be substituted.

10. **Substitution of Form 20.**—For Form 20 appended to the said Rules, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM 20

Final Result Sheet

[*See* rule 56(7)]

(To be used for recording the result of voting at polling stations other than notified polling stations)

ELECTION

to the.....

from the.....constituency

Serial No.	Polling Station No.	Total votes found in the ballot box (es)
1	2	3

1 Total number of polling stations

2 Total number of votes found in all the ballot boxes

3 Total number of valid votes recovered for candidates

A	B	C	D	Total

4 Total number of valid votes recorded on postal ballot papers for candidates .

TOTAL

Total number of rejected ballot papers used at polling stations:

Total

Total number of rejected postal ballot papers;

Total

Place :

Date :

Returning Officer"

[No. F.7(6)/71-Leg.II.]

N .D. P. NAMBOODIRIPAD, *Jt. Secy.*

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1971

का० आ० 479—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम**—ये नियम निर्वाचनों का संचालन (द्वितीय संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

2. **नियम 27 का संशोधन.**—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 27 में, उप-नियम (1) में, "मतदान के लिए नियत तारीख या तारीखों में से अन्तिम तारीख को मतदान के बन्द होने के लिए नियत समय" शब्दों के स्थान पर "मत-गणना के प्रारम्भ के लिए नियत समय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. **नियम 49 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 49 में, उप-नियम (3) में, खण्ड, (ज) उसके खण्ड (झ) के रूप में फिर से अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार फिर से अक्षरांकित खण्ड के पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(ज) नियम 45 के उप-नियम (1) के बदले में, निम्नलिखित उप-नियम लागू होगा—

"(1) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर मतपत्रों का लेखा प्ररूप 16क में तैयार करेगा और उसे एक पृथक लिफाफे में रखेगा और उसके ऊपर "मतपत्र लेखा" शब्द लिखेगा।"

4. **नियम 55 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 55 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(1) रिटर्निंग आफिसर एक से अधिक मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों को एक साथ खोलेगा या खुलवाएगा और ऐसी मतपेटी या मतपेटियों में पाए गए कुल मतपत्रों की गणना कराएगा और प्ररूप 16 के भाग 2 में उन्हें अभिलिखित कराएगा।

(1क) यथापूर्वोक्त अभिलिखित ऐसे मतपत्रों की कुल संख्या और उक्त प्ररूप 16 के भाग 1 की मद 3 में यथादर्शित मतदाताओं को दिए गए मतपत्रों की कुल संख्या, जिसमें से उसी भाग की मद 4 में यथादर्शित रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या और मद 5 में यथादर्शित निविदित्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त मतपत्रों की संख्या घटाई गई है, के बीच यदि कोई फरक हो तो वह भी प्ररूप 16 के भाग 2 में उल्लिखित किया जाए।"

5. **नियम 56 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 56 में—

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन, यदि कोई हों, जो इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाएं, निर्वाचन-क्षेत्र में उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियों में से निकाले गए मतपत्र एक साथ मिला दिए जाएंगे और तत्पश्चात् सुविधाजनक बंडलों में रखे जाएंगे और उनकी संवीक्षा की जाएगी।";

(ख) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(4) रिटर्निंग आफिसर ऐसे हर मतपत्र पर जिसे वह प्रतिक्षेपित करता है, "प्रतिक्षेपित" शब्द और प्रतिक्षेपण के आधार को संक्षिप्त रूप में या तो स्वहस्तेन या रबड़ स्टाम्प से पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन पर आद्यक्षर करेगा।";

(ग) उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम और स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(7) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में उपयोग में लाई गई सब मतपेटियों में अन्तर्विष्ट सब मतपत्रों की गणना खत्म होने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 20 में के परिणामपत्र में प्रविष्टियां करेगा और विशिष्टियां आख्यापित करेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिए "निर्वाचन-क्षेत्र" पद से, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के संबंध में, इसमें समाविष्ट सभा निर्वाचन क्षेत्र अभिप्रेत है।"

6. **नियम 59 का संशोधन.**—नियम 59 में, नियम 56 के स्थान में अधिसूचित मतदान केन्द्रों के संबंध में लागू नियम 56क के उपनियम (7) में, "प्ररूप 16" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप 16क" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. **प्ररूप 13घ का संशोधन.**—उक्त नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 13घ (लोक सभा या राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में उपयोग में लाया जाए) में भाग 2—निर्वाचकों के लिए अनुदेश, में—

(क) पैरे (ङ) और (च) में से प्रत्येक में "अपराह्न" शब्द लुप्त कर दिया जाएगा;

(ख) "*यहां मतदान के बन्द होने के लिए नियत समय और तारीख विनिर्दिष्ट कीजिए", पाद टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित पाद टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"*यहां मत-गणना के प्रारंभ के लिए नियत समय और तारीख विनिर्दिष्ट कीजिए"।

8. **प्ररूप 13घ का संशोधन.**—उक्त नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 13घ (राज्य सभा के लिए या राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन में उपयोग में लाया जाए) में भाग 2—निर्वाचकों के लिए अनुदेश, में—

(क) पैरे 5 और 6 में से प्रत्येक में "अपराह्न" शब्द लुप्त कर दिया जाएगा ;

(ख) "*यहां मतदान के बन्द होने के लिए नियत समय और तारीख विनिर्दिष्ट कीजिए" पाद टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित पाद टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"*यहां मत-गणना के प्रारंभ के लिए नियत समय और तारीख विनिर्दिष्ट कीजिए।"।

9. **नए प्ररूप 16 का अन्तःस्थापन और प्ररूप 16क का संशोधन**—(1) प्ररूप 16 प्ररूप 16क के रूप में फिर से संख्याकित किया जाएगा तथा इस प्रकार फिर से संख्यांकित प्ररूप के पूर्व निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 16

[नियम 45 और 55(1) देखिए]

भाग 1—मतपत्र लेखा

.....निर्वाचन-क्षेत्र से.....के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम.....

क	क्रम संख्यांक	कुल संख्या
1. प्राप्त मतपत्र . . .		
2. उपयोग में न लाए गए मतपत्र — . .		
(क) यदि कोई पीठासीन आफिसर हो तो उसके हस्ताक्षर सहित ; और .		
(ख) पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर बिना। . . .		
3. मतदाताओं को दिए गए मतपत्र .		
4. निम्नलिखित कारणों से रद्द किए गए मतपत्र—		
(क) नियम 39 के अधीन मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण ; और .		
(ख) किसी अन्य कारण से		

5. निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्र ——————————

तारीख ——————— पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर ——————

भाग 2— आरम्भिक गणना का सार

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या ——————————

2. इस भाग में मद 1 के सामने की कुल संख्या और भाग 1 की मद 3 में यथादर्शित मतदाताओं को दिए गए मतपत्रों की कुल संख्या, जिसमें से उसी भाग की मद 4 में यथादर्शित रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या और मद 5 में यथादर्शित निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त मतपत्रों की संख्या घटाई गई है, के बीच कोई फरक, यदि हो । ——————————

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर ——————

तारीख ——————— रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर ——————

(2) इस प्रकार फिर से संख्याकित प्ररूप 16 में "नियम 45, 56 (7) और 56क (7) देखिये" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "नियम 45 और 56क (7) देखिये" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

10. प्ररूप 20 का प्रतिस्थापन.—उक्त नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"प्ररूप 20

अन्तिम परिणामपत्र

[नियम 56 (7) देखिये]

(अधिसूचित मतदान केन्द्रों से भिन्न मतदान केन्द्रों पर मतदान का परिणाम अभिलिखित करने के लिए उपयोग में लाया जाए)

क्रम सं० निर्वाचन क्षेत्र से के लिए निर्वाचन	मतदान केन्द्र सं०	मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए कुल मत
1	2	3

1. मतदान केन्द्रों की कुल संख्या ——————

2. सभी मतपेटियों में पाए गए मतों की कुल संख्या ——————

3. अभ्यर्थियों के लिए अभिलिखित विधिमान्य मतों की कुल संख्या ———	क ———	ख ———	ग ———	घ ———	जोड़ ———
4. अभ्यर्थियों के लिए डाक मतपत्रों पर अभिलिखित विधिमान्य मतों की कुल संख्या ———	———	———	———	———	———

जोड़ :

मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाए गए प्रतिक्षेपित मतपत्रों की कुल संख्या : जोड़

प्रतिक्षेपित-डाक मतपत्रों की कुल संख्या :

जोड़ :

स्थान :

तारीख :

रिटर्निंग आफिसर"

[सं० फा० 7(6)/71-वि० II]

एन० डी० पी० नाम्बूदिरीपाद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971